फा.सं. 5(1)/2025/रक्षा (पी/पी)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

रक्षा (पेंशन/नीति)

सेना भवन, नई दिल्ली, 110011

दिनांक 30.04.2025

सेवा में

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
थल सेना अध्यक्ष
नौसेना अध्यक्ष
वायु सेना अध्यक्ष

विषय:- सैनिकों के लिए सतत परिचर्या भत्ता (सीएए) वृद्धि के बारे में।

महोदय,

मुझे सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले अथवा कर्तव्य के निर्वहन के दौरान मृत होने वाले कमीशन प्राप्त अधिकारियों, जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अन्य रैंकों के संबंध में हताहत पेंशन पुरस्कारों के विषय में अधिसूचित किए गए पुरस्कार सहित पेंशन/ग्रेच्युटी/पेंशन सांराशीकरण/परिवार पेंशन को विनियमित करने वाले प्रावधानों के संशोधन के बारे में इस विभाग के दिनांक 04.09.2017 के पत्र सं. 17(02)/2016-रक्षा (पेंशन/नीति) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. पूर्वोक्त विभाग के पत्र के पैरा 12.1 के अनुसार सतत परिचर्या भत्ता 01.01.2016 से 30.06.2017 तक अब तक मौजूदा दर के अनुसार शर्त के तहत स्वीकार्य रहेगा। तथापि, यह भत्ता दिनांक 01.07.2017 से रैंक के निरपेक्ष 6750/- रुपये प्रति माह की एकसमान दर से स्वीकार्य रहेगा।

3. व्यय विभाग ने उनके दिनांक 12.03.2024 के का.ज्ञा. सं. 1/1/2024-ई-II(ख) द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2024 से मूल वेतन के 46% से 50% तक महँगाई भत्ता दरों में वृद्धि करने के संबंध में अनुदेश जारी किए हैं। तदनुसार डीओपी एंड पीडब्ल्यू विभाग ने इसके दिनांक 18.09.2024 और 03.10.2024 के का ज्ञा.सं. 1/5/2024-पी एंड पीडब्ल्यू(एफ)-9809 द्वारा

सभी मंत्रालयों/ विभागों को दिनांक 01.01.2024 से सीएए की राशि 25% तक बढ़ाकर मौजूदा 6750/- रुपये से 8438/- रुपये करने के लिए निदेश दिए हैं।

4. तदनुसार, 7वें सीपीसी की सिफारिश के कार्यान्वयन में सरकार के निर्णय के अनुसार, सतत परिचर्या भत्ते की राशि दिनांक 01.01.2024 से 25% तक बढ़ाकर मौजूदा 6750/- रुपये से 8438/- रुपये प्रति माह कर दी गई है।

5. इसे इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग की सहमति से उनकी दिनांक 18.03.2025 की आईडी नोट सं. 30(01)/2025/वित्त/पेंशन द्वारा जारी किया गया है।

भवदीय

गोपाल सिंह

(गोपाल सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति प्रषित:
मानक सूची के अनुसार

1. रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन)
2. जेटी सीजीडीए